

Form No-III



फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर
शकीला बनाम बुधराम आदि

किस्म मुकदमा 212 आरटीएक्ट

नम्बर 100/2024

जी.सी.एम.एस. आईडी 2024/276

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
08.2024	<p>प्रार्थीया शकीला पुत्री श्री बुधराम जाति बिश्नोई साकिन मालारामपुरा तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर की ओर से श्री अशोककुमार नायक अधिवक्ता ने प्रार्थना -पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत प्रार्थना पत्र स्थगन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अप्राथी बुधराम पुत्र श्री गंगाविशन की ओर से श्री मोहनलाल बना अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.09.2024को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर </p>	<p style="text-align: center;"> <i>Note press</i>  812 21/9/24 </p>
<p><i>4/9/24 आज पत्रावली अर्थात् अधिवक्ता के अस्तित्व होने पर प्रार्थी के लीगल एवम् अधिवक्ता द्वारा मूल पत्र अर्थात् प्रार्थना पत्र प्रकाशित अर्थात् पत्र 212 के अन्तर्गत पेश करने का कार्य अधिवक्ता ने ही 25/9/24 को ही करवाया जा रहा है। अतः पत्रावली अर्थात् प्रार्थना पत्र प्रकाशित अर्थात् पत्र 212 के अन्तर्गत पेश करने का कार्य अधिवक्ता ने ही 25/9/24 को ही करवाया जा रहा है।</i></p>		

